बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक 20/06/26

संख्या–8 / नि0को0(रा0)विभागीय 703 / 2018 3366 / श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया के पदस्थापन काल में वित्तीय अनियमितता बरतने एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार के पदस्थापन काल में कर्तव्य के प्रति लापरवाही, सरकारी कार्य में स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारी के आदेश / विभागीय निदेशों की अवहेलना के आरोप में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1410 दिनांक–02.04.2019 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री झा के दिनांक–31.05.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2563 दिनांक–27.07.2022 द्वारा इस अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ –सह– संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–142 दिनांक–17.06.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन / अधिगम विभाग को समर्पित किया गया जिसमें श्री झा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये।

विभागीय पत्रांक–1961 दिनांक–30.07.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री झा को उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की माँग की गयी जिसपर श्री झा द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन / निवेदन समर्पित किया गया।

श्री संजय कुमार झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम एवं इस पर श्री झा से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया द्वारा परियोजना के खाता से चेक संख्या–016716 दिनांक–26.07.2014 के द्वारा मो0 3,00,000 / – (तीन लाख) रुपये एवं पुनः चेक संख्या–016745 दिनांक–01.11.2014 द्वारा मो0 2,00,000 / – (दो लाख) रुपये कुल मो0 5,00,000 / – (पाँच लाख) रुपये की निकासी निजी कार्य हेतु की गई तथा एक वर्ष के बाद स्वयं ही 4 प्रतिशत की दर से सूद भारित कर दिनांक–04.07.2015 को मो0 2,50,000 / – रुपये एवं दिनांक–13.07.2015 को मो0 2,66,630 / – रुपये परियोजना के खाता में जमा कर दिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा सूद सहित कुल मो0 5,16,630 / – (पाँच लाख सोलह हजार छः सौ तीस) रुपये परियोजना खाता में जमा किया गया है। यह परियोजना के मापदण्ड के विपरित राशि विचलन एवं अस्थायी गबन का मामला है। राज्य सरकार परियोजना के संचालन हेतु राष्ट्रीय सहकारी वित्त निगम, नई दिल्ली से 11.45 प्रतिशत सूद

की दर पर कर्ज के रूप में राशि प्राप्त करती है, जिसके विरूद्ध श्री झा द्वारा स्वयं 4 प्रतिशत सूद का दर निर्धारित करते हुए राशि जमा कराई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री झा द्वारा न केवल सरकारी राशि का दुविर्नियोग किया गया है बल्कि अपने पदीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता का कार्य किया गया है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन है।

उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार झा के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए वृहद शास्ति के तहत उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती करने एवं सूद की अद्यतन गणना कर अवशेष राशि से उनके रोके गये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि से कटौती करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक–5495 दिनांक–03.11.2025 द्वारा उक्त विभागीय प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। जिस पर आयोग के पत्रांक–406 दिनांक–11.05.2026 द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अतः श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार –सह– महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) के तहत उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से करने एवं सूद की अद्यतन गणना कर अवशेष राशि उनके रोके गये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि से कटौती करने का दंड संसूचित किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि०को०(रा०)विभागीय–703/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि०को०(रा०)विभागीय–703/2018

प्रतिलिपि:– श्री संजय कुमार झा; तत्कालीन महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–आशीर्वाद भवन, विशाल फ्लैक्सों के नजदीक, पोस्ट+थाना+जिला–बेतिया, पिन–845438, मोबाईल नं0–9304335672 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–703/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सरकार के सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–703/2018

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–2328 दिनांक–29.08.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–703/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा–8, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01 एवं 08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 3366 / पटना, दिनांक 20/06/26

8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–703/2018

ई–मेल

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।

19/06/26